फाइल संख्या-71-1002(099)/21/2021

113/2021/।/81928/2021

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 23 जुलाई, 2021**

विषयः- मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में स्थापित किये जा रहे 02 नग आक्सीजन जनरेटर प्लाण्ट की स्थापना स्थल से अस्पताल के मुख्य भवन में पूर्व से स्थापित मैनीफोल्ड तक पाइप लाइन व डक्ट संबंधी सिविल कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के पत्र संख्या-रा0मे0का0आ0/क्रय/2021/228, दिनॉक 19.05.2021, जो आपको सम्बोधित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर की चुनौती से निपटने हेतु की जा रही तैयारियों के क्रम में राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में स्थापित किये जा रहे 02 नग आक्सीजन जनरेटर प्लाण्ट से मैनीफोल्ड तक आक्सीजन गैस के परिवहन/आपूर्ति हेतु पाइप लाइन एवं डक्ट संबंधी कार्य कराने हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 7,34,000/- (रू0 सात लाख चौतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल प्रदान करते हैः-

(1) प्रश्नगत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति कोविड-19 की आकस्मिकता के दृष्टिगत निर्गत की जा रही है अतः संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य तथा कार्यदायी संस्था का यह दायित्व होगा कि कार्य निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आजमगढ़ को इनके पक्ष में कार्यादेश निर्गत किए जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्हीं अन्य मद पर धनराशि का व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(4) कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत लागत में ही कार्य पूर्ण कराया जायेगा। स्वीकृत लागत का अतिक्रमण वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(5) परियोजना के आगणन में लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(6) परियोजना का निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में 03 सप्ताह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

(7) सुसंगत नियमों एवं प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत आगणन में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था एवं प्रधानाचार्य की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त परियोजना पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- उपरोक्त, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
5. कोषाधिकारी, आजमगढ़।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।